



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07112025-267432
CG-DL-W-07112025-267432

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, अक्टूबर 26—नवम्बर 1, 2025, शनिवार/कार्तिक 4—कार्तिक 10, 1947
No. 39] NEW DELHI, OCTOBER 26—NOVEMBER 1, 2025, SATURDAY/KARTIKA 4—KARTIKA 10, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 174.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (बागवानी-फल) और उपायुक्त (बागवानी) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन बागवानी प्रभाग में तकनीकी समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी प्रभाग (समूह 'क') भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. लागू होना:-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती का पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:-** उक्त पदों पर भर्ती का पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता:-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
1. अपर आयुक्त (बागवानी-फल)।	1 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु./)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा और पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12(78,800-2,09,200/ रु.) में ऐसे उपायुक्त(बागवानी) और सुपारी और मसाला विकास निदेशालय में निदेशक और काजू और कोका विकास निदेशालय में निदेशक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और “नर्सरी प्रबंधन और क्वालिटी वाले रोपण सामग्री (ऊतक संवर्धन सहित) उत्पादन, फल फसलों के लिए संगरोध प्रक्रिया या फल फसलों के लिए कैनोपी प्रबंधन और पुनरुज्जीवन प्रौद्योगिकी या संरक्षित खेती, उच्च मूल्य वाली सागभाजी या फूलों के लिए सटीक खेती और एआई प्रौद्योगिकी या बागवानी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन या वाणिज्यिक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स या मृदारहित खेती या ऊर्ध्वाधर खेती तकनीक या सागभाजी की छत पर बागवानी या बागवानी फसलों में कृषि व्यवसाय, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम या कटाई के बाद का प्रबंधन, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला, रसद और कोल्ड चेन और फलों, सागभाजी, फूलों, बागान फसलों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मसालों, मशरूम और मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन में निर्यात संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम” के क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वाशासी निकायों या कानूनी निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव : -

आवश्यक:

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि-विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलों में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि-विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलों में विशेषज्ञता के साथ बागवानी में मास्टर डिग्री; या

(iii) बागवानी विकास या अनुसंधान या उत्पादन या विस्तार में बारह वर्ष का अनुभव ; या

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि या पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि-विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसल विद्या में डाक्टरेट डिग्री; और

(ii) बागवानी विकास या अनुसंधान या उत्पादन या विस्तार में नौ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; 3. बागवानी आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
2. उपायुक्त (बागवानी) ।	3(2025) * * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.) ।	लागू नहीं होता।	50 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती। टिप्पण 2: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
आवश्यक: अर्हता:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलों में विशेषज्ञता के साथ बागवानी में मास्टर डिग्री। या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी या पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय, सुगंधित फसलों में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री। अनुभव: बागवानी में अनुसंधान और विकास या उत्पादन या विस्तार में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी या पुष्पकृषि और भू-दृश्य निर्माण या फल विज्ञान या फलकृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या ऑलीइरीकल्चर या बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसल विद्या में डाक्टरेट डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपर आयुक्त (बागवानी फल) के पद पर प्रोन्नति के लिए विहित क्षेत्र में परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित है।	(i) 67% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) (ii) 33% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (6700-208700/रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	सीधे भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि और किसान कल्याण विभाग -अध्यक्ष; 2. बागवानी आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग -सदस्य; 3. अपर आयुक्त (बागवानी-फल), कृषि और किसान कल्याण विभाग -सदस्य;	

[फा. सं. ए-12018/1/2022-ई. II]

फणी तुलसी के. सीएच, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 22nd October, 2025

G.S.R. 174.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Additional Commissioner (Horticulture-Fruit) and Deputy Commissioner (Horticulture) Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to technical Group 'A' posts in the Horticulture Division under the Department of Agriculture and Farmers Welfare namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Horticulture Division (Group 'A') Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column (I) of schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc:- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedules.

5. Disqualification:- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
1. Additional Commissioner (Horticulture-Fruit).	1 (2025) *Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
(4)	(5)	(6)	(7)
Level-13 (Rs. 123100 – 215900/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by Deputation (Including Short-term contract).

In the case of recruitment by promotion or deputation/transfer, Grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
By promotion: Deputy Commissioner (Horticulture) and Director in the Directorate of Arecanut and Spices Development and Director in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 (Rs.78,800-2,09,200) in the pay matrix and having successfully completed at least two weeks training in the field of "Nursery management and quality planting material (including Tissue culture) production, quarantine procedures for fruit crops or Canopy management and rejuvenation technology for fruit crops or Protected cultivation, Precision farming and AI technology for high value vegetables or flowers or Integrated Nutrient management and Integrated Pest management in horticulture crops or Commercial Hydroponics and aeroponics or soil less cultivation or vertical farming techniques or roof top gardening of vegetables or Agribusiness, Entrepreneurship and skill development programmes in horticulture crops or Post-harvest management, supply and value chain, Logistics & cold chain and export related training programmes in fruits, vegetables, flowers, plantation crops, medicinal and aromatic plants, spices, mushrooms and apiculture or bee keeping". Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertaking or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory bodies or statutory organisations: -

(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; **or**

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; **and**

(B) Possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

(i) Masters Degree in Agriculture with specialisation in Horticulture or Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops from a recognised University or Institute.; **or**

(ii) Masters Degree in Horticulture with specialization in Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops from a recognised University or Institute.; **and**

(iii) Twelve years experience in horticulture development or research or production or extension;

OR

(i) Doctorate Degree in Horticulture or Agriculture or Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops discipline from a recognised university or Institute.; **and**

(ii) Nine years experience in horticulture development or research or production.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- - Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; - Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; - Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

(1)	(2)	(3)
2. Deputy Commissioner (Horticulture).	3(2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level-12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding 50 Years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)
Essential: Qualification: (i) Masters degree in Horticulture with specialisation in Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops from a recognised University. OR (ii) Masters degree in Agriculture with specialisation in Horticulture or Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal, Aromatic Crops from a recognised University. Experience: Ten years experience in Research and Development or Production or Extension in Horticulture. Desirable Qualification: Doctorate degree in Horticulture or Floriculture and Land Scaping or Fruit Science or Pomology or Vegetable Science or Olericulture or Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops discipline from a recognised University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year for direct recruits. Note: Direct recruits are required to successfully complete a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of the probation, in the field prescribed for promotion to the post of Additional Commissioner (Horticulture Fruit).	(i) 67% by deputation (including Short Term Contract) (ii) 33% by direct recruitment.

(11)
Deputation (including Short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract)in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Chairman; 2. Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; 3. Additional Commissioner (Horticulture-Fruit), Department of Agriculture and Farmers Welfare -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for Direct Recruitment.

[F. No. A-12018/1/2022-E.II]

PHANI TULASI K. CH., Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय निवर्तन करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षणशाला में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—** (1) इन नियमों को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम नियुक्ति नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती के तरीके, आयु सीमा और अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हों; या

(ख) कोई भी व्यक्ति, जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. **छूट देने की शक्ति –** जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है।

6. **प्रभाव –** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित पद अथवा गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 11 (₹ 67700- ₹ 208700)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या पदोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।

(11)

संयुक्त पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या पदोन्नति

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अधिकारी;

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या

(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - 10 (₹ 56100 - ₹ 177500) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले, अर्थात्:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

नोट 1: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - 10 (₹ 56100 - ₹ 177500) में विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-I) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को इस पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किया जाता है, तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2024- एनटीएच]

मो. आमिर, अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षणशाला)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 22nd September, 2025

G.S.R. 175.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the National Test House under the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.— The number of the post, its classification, level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age – limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700- Rs. 208700).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract) or promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

Composite Method:**Deputation (including short term contract) or promotion**

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or research institution ;

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the pay level – 10 in the pay matrix (Rs.56100 - 177500) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-

(i) Bachelor degree from a recognised University or Institute; and

(ii) five years experience in accounts or administration or establishment work in a Government office or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings.

Note 1: The Departmental Administrative Officer (Grade-I) in pay level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputation shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2024-NTH]

Md. AAMIR, Under Secy. (National Test House)